150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

आज़ादी का अमृत महोत्सव

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, राजीव गांधी भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017

दूरभाषः 0141–2715548, E-mail: mis.nsqf.raj@gmail.com

क्रमांकः रास्कूशिप/जय/व्या.शि./CDEO-ADPC/2021–22/417 दिनांकः 19 /04/2022

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समस्त जिले।

विषयः–व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में कक्षा 9 व 11 के व्यावसायिक विषयों की सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा–2022के आयोजन बाबत।

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भित पत्रानुसार व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में सत्र 2021–22 में कक्षा 9 व कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की व्यावसायिक परीक्षा–2022 के आयोजन हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

1. **सैद्धान्तिक परीक्षा–2022** :– व्यावसायिक शिक्षा के समस्त ट्रेड/विषय की सैद्धान्तिक परीक्षा–2022 जिला समान परीक्षा योजनान्तर्गत/विद्यालय स्तर पर आयोजित की जानी है।
2. **प्रायोगिक परीक्षा–2022** :– व्यावसायिक शिक्षा के समस्त ट्रेड/विषय की प्रायोगिक परीक्षा–2022 दिनांक **27.04.2022 से 30.04.2022** की समयावधि में निम्नानुसार आयोजित की जानी है।
   (अ) एक ही जिले में कार्यरत Vocational Trainers को Interchanging Amongst Different School के आधार पर Practical Assessment का कार्य करवाया जाना है।
   (ब) यदि किसी जिले में एक ट्रेड का मात्र एक ही विद्यालय हो तो निकटतम जिले से उसी ट्रेड के व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालय के Vocational Trainer द्वारा Practical Assessment का कार्य करवाया जाना है।

उक्त दोनों ही स्थितियों में व्यावसायिक प्रशिक्षक (VT) को सम्बन्धित विद्यालय द्वारा नियमानुसार (जहां परीक्षा ली गई है) यात्रा का मूल टिकट प्रस्तुत करने पर वास्तविक किराया कार्यालय व्यय मद (व्यावसायिक शिक्षा) से पुनर्भरण किया जायेगा। व्यावसायिक शिक्षा की उक्त परीक्षाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन व मूल्यांकन की मॉनिटरिंग जिला कार्यालय द्वारा की जायेगी।

उक्तानुसार पत्र की पालना सुनिश्चित करावें।

(शीलावती मीणा)
अति. राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, रास्कूशिप, जयपुर।
02. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक–।।, रास्कूशिप, जयपुर।
03. संयुक्त निदेशक, रास्कूशिप, जयपुर।
04. संयुक्त निदेशक, शैक्षणिक संभाग, समस्त।
05. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समसा कार्यालय, समस्त जिलों को भेजकर लेख है कि अपने अधीनस्थ विद्यालयों को उक्तानुसार परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु अविलम्ब निर्देशित करावें।
06. उपनिदेशक (शाला दर्पण), रास्कूशिप, जयपुर को व्यावसायिक शिक्षा पोर्टल पर अपलोड कराने बाबत।
07. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त

Desktop/Mahendra/All letter.doc